**स्मरण पत्र**

# कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक :—एफ( )एफसीए / उवसझु / 2022—23 / 3727 दिनांकः— 28-04-2022

NRSSXXXVI Transmission limited,
A 26/3, Mohan cooperative industrial
Estate, Sarita Vihar, New Delhi.

विषयः—Diversion of 13.015Ha of Forest land in favor of NRSSXXXVI Transmission limited, for the construction of 400kV D/C Babai (RRPVNL) to Bhiwani (PGCIL) Transmission line in Jhunjhunu district.

संदर्भः—भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं0 8बी / राज0 / 04 / 11 / 2018 / एफ.सी. / 244 दिनांक 06.07.18 एवं 631 दिनांक 14.02.2019 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्रांक एफ 14 (Trans)2017 / एफसीए / प्रमुवसं / 514—15 दिनांक 25.02.2019 एवं 2278—79 दिनांक 24.08.2020 व 2952—53 14.10.2020 मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 4677 दिनांक 22.10.2020 व इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 8789 दिनांक 30.07.2018, 3792 दिनांक 05.04.2019, 4280 दिनांक 01.06.2020, 10891 दिनांक 27.10.2020, 880 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आलोच्य प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुल 13.015 हैक्टर में से बांसियाल—खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र को छोड़कर 5.563 हैक्टर की स्वीकृति की पालना हेतु इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 880 दिनांक 28.01.2021 द्वारा लिखा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। चूंकि वर्तमान में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन हो गया है। अतः संशोधित दरों के अनुसार राशि ऑन लाईन ई—चालन से जमा करावें। इसके अलावा शेष बासियाल—खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में पड़ने वाली 7.452 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृती में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। अधिरोपित शर्तो की निम्नानुसार बिन्दुवार पालना आपके द्वारा अपेक्षित हैः—

शर्त सं0 1 की पालना में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति 52 बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 10.01.2019 में पैरा 52.3.5 में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना करना सुनिश्चित की जावें।

1. The 5% of proportional project cost of Rupees 1597316.00 to be deposit in the Rajasthan Protected Area Conservation Society A/c Number 61087162999 IFSC Code SBI0031510 State bank of India Tilak Marg Jaipur and send the deposite acknowledgement slip to this office.
2. No work shall be done before sunrise and after sunset in the project area.
3. No material of any kind should be extracted from the Protected Area and EcoSensitive Zone.
4. There will be no felling of trees and burning of fuel wood inside the Protected Area and Eco-Sensitive Zone.
5. The waste material generated should be disposed outside the Protected Area and Eco-Sensitive Zone.
6. There will be no labour camp within 1 km from the boundary of Protected Area.
7. No blasting will be carried out within I km from the boundary of Protected Area during the work.
8. There shall be no high mast/beam/search lights & high sounds within 1 km from the Protected Area boundary.
9. Signages regarding information about the wild animals in the area, control of the traffic volumes, speed etc should be erected in the project area.
10. Maintenance activity of any nature should be carried out only after seeking formal approval from competent authority of the protected area.
11. The user agency shall conform to guidelines for laying transmission lines through forest areas given by MoEF&CC dated 24.10.2016.
12. The user agency and project personnel will comply with the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
13. For diversion of forest land the user agency will obtain permission/approval under Forest Conservation Act, 1980 as per order dated 28.03.2008 and 3/2007-FC dated 05.02.2009.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the project subject to the following conditions:

(a) Permission for starting the work on the project shall be granted by the state government only when animal passage plan is prepared by the project proponent in consultation with the State Chief Wildlife Warden on the basis of WII guidelines named Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts on Linear Infrastructures on Wildlife.
(b) The project proponent will comply with all the conditions imposed by the State Chief Wildlife Warden.
(c) The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wildlife Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wildlife Warden to GoI.

बिन्दु संख्या 2 की पालना में पारेषण लाईन पर निश्चित अन्तराल में डाईवर्टस् (Diverts) लगावे तथा प्रकरण में पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 06.07.2018 की पालना भी निम्नानुसार बिन्दुवार किया जाना सुनिश्चित करे।

1. शर्त सं0 1 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. शर्त सं0 2 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि के दुगुने अर्थात 26.030 हैक्टर अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण दर 160400 के हिसाब से रूपये 4175212/– जमा करावें।
3. शर्त सं0 3 की पालना में विधुत लाईन के निचे दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु वर्तमान वृक्षारोपण दर 640237/– के हिसाब से रूपये 8332685/– रूपये जमा करावे।
4. शर्त सं0 4 की पालना में एनपीवी राशि दर 6,26,000 से बांसियाल–खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र को छोड़कर 5.563 क्षेत्र वन भूमि प्रत्यावर्तन के 3482438/– रूपये तथा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले 7.452 में एनपीवी की राशि पांच गुना अर्थात 5x626000x7.452=23324760 रू. जमा करावें।

उपरोक्त बिन्दू संख्या 2, 3 व 4 के क्रम में कुल राशि FCA ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मदवार जमा करा ऑनलाईन ई रसीद की छायाप्राति भिजवायें।

5. शर्त सं0 5 की पालना में इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवायें कि यदि भविष्य में एनपीवी की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि जमा की जायेगी।
6. शर्त सं0 6 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का विधिवत स्वीकृति के बाद प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर 4 फुट उंचे सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किया जाकर पिल्लरों पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, बैकवर्ड एवं फोरवर्ड बियरिंग एवं निकटवर्ती पिल्लरों से दुरी दर्शायी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. शर्त सं0 8 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें।
8. शर्त सं0 10 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशानिर्देशों की पालना करेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

उक्त शर्तों के अलावा वर्तमान में श्रमिक दर बढ़ोंतरी के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं पारेषण लाईन के नीचे लगाये जाने वाले बौने/औषधिय पौधों के वृक्षारोपण की दर में अन्तर राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करायी जावेगी। इस हेतु अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें। सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना न करने पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति निरस्त करने के प्रावधान कर रखे है, पालना के अभाव में स्वीकृति निरस्त की जाती है, तो इसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

क्रमांक :–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन, जयपुर को उनके पत्रांक 2278–79 दिनांक 24.08.2020 के संदर्भ में।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर को उनके पत्रांक 4677 दिनांक 22.10.2020 के संदर्भ में।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं